न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 22/2020

प्रार्थीगण :–

1. जोमरदीन पुत्र मोलाबक्ष
2. समाउदीन पुत्र मोलाबक्ष
3. सुलेमान पुत्र मोलाबक्ष
   कौम–शेरानी (मुसलमान) निवासी–बरनेल, तहसील–जायल(नागौर)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मोहम्मद ईसराईल पुत्र मंजूरखां
2. मोहम्मद युसुफ पुत्र मंजूरखां
   कौम–शेरानी (मुसलमान) निवासीगण–बरनेल तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका एवं राजेन्द्र ढाका प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी अप्रार्थीगण 1 से 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 555/1 रकबा 1.3355 हैक्टैयर ग्राम बरनेल तहसील जायल में आया हुआ है जिसमें अपने परिवार सहित ढाणी में निवासरत है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत के दक्षिणी तरफ चिपता ही खसरा नं. 555/2 रकबा 1.3355 हैक्टेयर आया हुआ है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी का है, जिसके दक्षिणी तरफ डामर सड़क (सरकारी) ग्राम बरनेल से हिरासणी की ओर जाती है। प्रार्थीगण उक्त सड़क के चिपते खसरा नं. 555/2 की पश्चिमी माठ के पास–2 नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी अपने खातेदारी खेत में फसल बुआई, घास–फूस लाने व ट्रेक्टर मय ट्रोली गाड़ी–छकड़ा पशुओ को लाने व ले जाना करते रहे है। अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को आपसी मनमुटाव के कारण बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी का आने जाने में

31/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अवरोध उत्पन्न हो गया है तथा पशुधन भूखे–प्यासे मर रह है। इस संबंध में अप्रार्थी से पारस्परिक सहमति के लिए प्रयास किये गये परन्तु रास्ता के संबंध में सहमति तय नहीं हो पाई। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य एवं रहवासी ढाणी में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने तथा ग्राम बरनेल से हिरासनी तक चालू कटाणी डामर सड़क जो निकटतम रास्ता है तक अप्रार्थी के खेत में से मार्क ए–बी 16 फीट चौड़ाई की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पेश पर निवेदन है कि प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी, 16 फीट चौड़ाई का रास्ता नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के एवज में स्वीकार एवं घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने वकालातनामा मय जवाब/आपत्ति पेश कर खसरा नं. 555/1 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं खसरा नं. 555/2 अप्रार्थीगण के खातेदारीसुदा है यह सही है परन्तु प्रार्थना पत्र के पैराज में वर्णित अन्य समस्त पूर्णतया सही नही है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पश्चिमी माठ के पास होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत में प्रवेश करते है क्योंकि खसरा नं. 555/2 में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही आज दिन कोई रास्ता है। वास्तविक स्थिति अनुसार प्रार्थीगण के खेत 555/1 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मकान बना हुआ है तथा खसरा नं. 555/2 के उतरी पश्चिमी कोने पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण मूल खसरा नं. 555 के पश्चिमी तरफ की माठ से होकर आवागमन करते आये है तथा मौके पर आज दिन उक्त कदीमी वैकल्पिक रास्ता मोजूद है जिसको प्रार्थीगण ने जानबूझकर छुपाया है तथा प्रार्थीगण बदमाशा व झगड़ालू प्रवृति के लोग होने से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए बिना आवश्यकता के यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु गांव के मौजीज लोगो द्वारा समझाईश की मगर प्रार्थीगण मान नही रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 555/2 की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। तथा प्रार्थीगण द्वारा किये अतिक्रमण को बचाये रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का आवागमन के लिए खसरा नं. 555 में से रहा है तथा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

आज दिन भी चल रहा है, जिसको प्रार्थीगण द्वारा पक्षकारा संयोजित किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त कृत्य खसरा नं. 555 के खातेदार से दुरभिसंधी प्रदर्शित करता हैं जो कि प्रार्थीगण की बदनियती को दर्शाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा मनमर्जी से एवं गलत रूप से पेश किया है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु खसरा नं. 555 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसके रहते नया रास्ता सुविधा के लिए कायम किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खसरा नं. 555 के खातेदार जो कि आवश्यक पक्षकार है को पक्षकार संयोजित नही किये जाने, प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 555 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रदर्शित नहीं होती है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध मौके के हालात के विपरित, सही तथ्यों को छुपाते हुये गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो कि हर्जा खर्चा सहित काबिले खारिज है।

प्रकरण हाजा में भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल दिनांक 02.02.2020 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। उक्त मौका रिपोर्ट में भू. अ. निरीक्षक द्वारा पूर्व में पक्षकारान को सूचित किये जाने जिक्र किया है। मौका रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार है –

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 143 मीटर व चौड़ाई 4.87 मीटर से कुल क्षेत्रफल 696.41 वर्गमीटर बनता है। जिसकी डी.एल.सी दर के अनुसार 13704/–रू. प्रतिकर राशि बनती है।
2. प्रस्तावित रास्ते के लिए राजस्व रेकर्ड के अनुसार कटाणी रास्ता नहीं लगता है।
3. खसरा नं. 555/2 की दक्षिणी सींव के पास ग्राम हिरासनी की काकंड़ लगती है तथा उक्त खसरा के समीप पक्की डामर सड़क है।

प्रकरण के विचाराधीन रहते वकील अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकुलाय को सुना गया तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर प्रकरण में पुनः भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 185 दिनांक 24.02.2021 जारी किया गया है। जिसकी अनुपालना में मौका रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक 1143 दिनांक 12.03.2021 प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

1. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नं. 555/2 में से नजरी नक्शानुसार मार्क पी. क्यू. प्रदर्शित है, जो कि खसरे की पश्चिमी सीमा के सहारे–2 है, जिसकी लम्बाई 143 मीटर है तथा पूर्वी मार्क आर.टी. की लम्बाई 126 मीटर है।
2. प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 555/2 की दक्षिणी सीमा मौजा हीरासणी की कांकड़ माठ लगती है, जहां डामर सड़क बनी हुई है। कटाणी रास्ता खसरा नं. 552 अधिक दूरी पर है।
3. प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है।
4. प्रस्तावित रास्ते में खसरा नं. 555/2 की 696.41 वर्गमीटर भूमि काम में आती है। तथा इसके लिए 31854/–रू. प्रतिबीघा की दर से नियमानुसार दुगुनी राशि प्रतिकर राशि 27408 रू. बनती है।
5. खसरा नं. 555/2 की पूर्वी सीमा की लम्बाई 126 मीटर , पर पर ढाणी मार्क सी बनी हुई है तथा ढाणी सी से मार्क ए के मध्य की दूरी 4 मीटर है तथा मार्क आर से एस की लम्बाई 149 मीटर है।

उक्त मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर तैयार की जाने ताईद मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस प्रति से तथा मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान में से प्रार्थी जोमरदीन के अंगुठा निशान एवं अप्रार्थी मोहम्मद युसुफ के हस्ताक्षर करने से इन्कार से तथा अन्य मौजीज व्यक्ति यथा मुनीरखां , उमरदराज, अब्दूल रहमान के हस्ताक्षर से होती है

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है, जिसमें भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित एवं अप्रार्थीगण को सूचित किया जाना होता है। मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के दिनांक 24.12.2020 एवं 12.03.2021 को प्राप्त होकर शामिल मिसल है उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) पूर्ण हो चुकी है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा अपना जवाब/आपत्तिया प्रस्तुत कर दी है। प्रकरण हाजा निर्धारित समयावधि से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी लम्बित होने के कारण वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई तथा बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 555/1 में आवागमन हेतु ग्राम बरनेल से हीरासनी डामर सड़क के चिपते खसरा नं. 555/2 की पश्चिमी माठ के पास–2 नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी अपने खातेदारी खेत

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

में फसल बुआई, घास–फूस लाने व ट्रेक्टर मय ट्रोली गाड़ी–छकड़ा पशुओ को लाने व ले जाना तथा खसरा नं. 555/1 में बनी आवासीय ढाणी में आने जाने के लिए इसी प्रस्तावित रास्ते का उपयोग करते रहे है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी का आने जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है तथा पशुधन भूखे–प्यासे मर रह है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण के खेत में आवागमन लिए मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक खाटूकलां दिनांक 12.03.2021 में नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क आर से टी 126 मीटर तथा मार्क आर से एस 149 मीटर है अतः निकटतम रास्ता मार्क आर से टी 126 मीटर दूरी पर है। प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य एवं रहवासी ढाणी में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने तथा ग्राम बरनेल से हिरासनी तक चालू कटाणी डामर सड़क जो निकटतम रास्ता है तक, अप्रार्थी के खेत में से मार्क ए–बी 16 फीट चौड़ाई की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पेश पर निवेदन है कि प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी, 16 फीट चौड़ाई का रास्ता नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के एवज में स्वीकार एवं घोषित किया जावे।

दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कथनों का वकील अप्रार्थी द्वारा खण्डन करते हुये जाहिर किया कि प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पश्चिमी माठ के पास होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत में प्रवेश करते है क्योंकि खसरा नं. 555/2 में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही आज दिन कोई रास्ता है। वास्तविक स्थिति अनुसार खेत 555/1 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रार्थीगण के तथा खसरा नं. 555/2 के उतरी पश्चिमी कोने पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण मूल खसरा नं. 555 के पश्चिमी तरफ की माठ से होकर आवागमन करते आये है तथा मौके पर आज दिन उक्त कदीमी वैकल्पिक रास्ता मोजूद है जिसको पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए बिना आवश्यकता के यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण का उक्त कृत्य खसरा नं. 555 के खातेदार से दुरभिसंधी प्रदर्शित करता हैं जो कि प्रार्थीगण की बदनियती को दर्शाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा मनमर्जी से एवं गलत रूप से पेश किया है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु खसरा नं. 555 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसके रहते नया रास्ता सुविधा के लिए कायम किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खसरा नं. 555 के खातेदार जो कि आवश्यक पक्षकार है को पक्षकार संयोजित नही किये जाने, प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 555 में से वैकल्पिक रास्ता मार्क डी से ई उपलब्ध होने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित नया रास्ता पी–क्यू जो कि खसरा नं. 555/2 में से कायम किया जाना उचित नहीं है। मौका रिपोर्ट में बताये अनुसार मार्क ए व बी जोमरदीन की ढाणी, मार्क सी युसुफ की ढाणी, मार्क डी. मुनीरखां की ढाणी तथा मार्क ई अमीरदीन की ढाणी है, जिनमें आवागमन के लिए खसरा नं. 555 की पश्चिमी सींव के सहारे मार्क आर.टी.एस.ई डोटेड मार्क अनुसार वैकल्पिक रास्ता चालू है तथा तीनों खेत खसरा नं. 555, 555/1 व 555/2 एक ही खेत (555) के टूकड़े है। इस प्रकार उक्त वैकल्पिक रास्ते के चलते प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रदर्शित नहीं होती है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध मौके के हालात के विपरित, सही तथ्यों को छुपाते हुये गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र हाजा को हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है।

प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 555/1 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 555/2 में से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, जो कि मौका रिपोर्ट में कटाणी रास्ता डामर सड़क ग्राम बरनेल से हीरासनी तक 143 मीटर दूरी है। इसी प्रकार खसरा नं. 555 की पश्चिमी माठ पर से वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी अप्रार्थी जोमरदीन की ढाणी, मार्क मार्क सी–अप्रार्थी युसुफ की ढाणी के समीप से है। अप्रार्थी के कथनानुसार इन्ही खातेदार कृषको द्वारा उपभोग में लिया जा रहा है।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्राप्त मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 555/1 में मार्क ए व बी स्वयं की रहवासी ढाणी बनी है जिसमें प्रार्थी खसरा नं. 555 के खेत में चलन में वैकल्पिक रास्ता जो खसरा नं. 555 व 555/2 के खातेदार भी उपभोग कर रहे है, मौजूद है। अतः प्रकरण हाजा में प्रार्थी को खेत खसरा नं. 551/1 के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव नहीं पाया जाता है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध कर पाने में असफल होने पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम–बरनेल तहसील–जायल के खसरा नं. 555/1 के लिए कृषि कार्य एवं स्वयं की रहवासी ढाणी में आवागमन के लिए खसरा नं. 555/2 में से प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशानुसार प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल में बताये अनुसार वैकल्पिक रास्ता कदीमी रास्ता खसरा नं. 555 जो कि मार्क आर.टी.एस.ई बिना किसी रोक टोक के चालू है तथा मौजूद होने पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/03/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

31/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner